प्रेस नोट थाना सिंधौली

जनपद शाहजहाँपुर पुलिस

सराहनीय कार्य दिनांक 21.04.2026

थाना सिधौली पुलिस द्वारा ब्लॉक कार्यालय सिधौली में धरना-प्रदर्शन के दौरान सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने व उग्र प्रदर्शन प्रकरण में त्वरित एवं सशक्त कार्यवाही करते हुए 06 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहाँपुर महोदय के नेतृत्व में व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी पुवायाँ के निकट पर्यवेक्षण में अपराध की रोकथाम व वांछित/ संदिग्ध व्यक्ति/ वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सिंधौली द्वारा वाछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरणः-

श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री नत्थू सिंह निवासी कासिम बाग थाना कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फर्रूखाबाद, हाल तैनाती खण्ड विकास अधिकारी, ब्लॉक सिधौली जनपद शाहजहाँपुर द्वारा तहरीर के माध्यम से अवगत कराया गया कि दिनांक 18.04.2026 को किसान यूनियन (राष्ट्रवादी) के जिला अध्यक्ष हरिराम वर्मा तथा अन्य कार्यकर्ता मुनेश्वर सिंह, सवील हसन, राजू गुप्ता, जीशान आदि लगभग 14-15 व्यक्तियों द्वारा बिना पूर्व अनुमति/सूचना के ब्लॉक कार्यालय सिधौली में धरना-प्रदर्शन किया गया तथा एक ज्ञापन खण्ड विकास अधिकारी को सौंपा गया। दिनांक 20.04.2026 को उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा ज्ञापन के संबंध में वार्ता हेतु खण्ड विकास अधिकारी एवं अन्य कर्मचारियों को धरना स्थल पर बुलाया गया। खण्ड विकास अधिकारी अपने 3-4 कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचे तो उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा जोर-जोर से नारेबाजी करते हुए उग्र व्यवहार किया गया तथा लाठी-डंडा, सरिया आदि निकालकर ब्लॉक कार्यालय का गेट बंद कर ताला लगा दिया गया, जिससे सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न हुई तथा फरियादियों का आवागमन अवरुद्ध हो गया। उक्त स्थिति से भयभीत होकर कर्मचारीगण एवं उपस्थित अन्य व्यक्ति इधर-उधर हट गए। इसी दौरान उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा कानून विरुद्ध कृत्य करते हुए मुख्य विकास अधिकारी का पुतला भी जलाया गया। सूचना पर थाना सिधौली पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर वामुश्किल गेट खुलवाते हुए स्थिति को नियंत्रित किया गया तथा आवागमन सुचारू कराकर शांति व्यवस्था स्थापित की गई।

इस संबंध में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा दिनांक 20.04.2026 को थाना सिधौली पर तहरीर देकर मु0अ0सं0-170/2026 धारा 191(2)/191(3)/190/223/126(2)/221/132/352/351(3) बीएनएस, धारा 07 क्रिमिनल लॉ एक्ट व धारा 3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट के अंतर्गत मुनेश्वर सिंह, हरिराम वर्मा, सवील हसन, राजू गुप्ता, जीशान आदि 14-15 व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया, जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी पुवायां द्वारा की जा रही है। क्षेत्राधिकारी पुवायां के आदेश के क्रम में थाना सिधौली पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तगण (1) मुनेश्वर दयाल पुत्र सियाराम निवासी रौसर कोठी थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजहाँपुर, (2) गुलजार सिंह पुत्र पूरन सिंह निवासी ग्राम मुड़िया पमार थाना सिधौली जनपद शाहजहाँपुर, (3) राजू गुप्ता पुत्र मटरू लाल गुप्ता निवासी ग्राम पीरताला थाना सिधौली जनपद शाहजहाँपुर, (4) सबील हसन खाँ पुत्र नूर हसन खाँ निवासी कोरो कुइया थाना सिधौली जनपद शाहजहाँपुर, (5) रामभजन पुत्र कल्लू, (6) मिथुन पुत्र गजोधर निवासी ग्राम महासिर थाना सिधौली जनपद शाहजहाँपुर को मौके से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अन्य अभियुक्तगण भीड़ का लाभ उठाकर मौके से फरार हो गए, जिनकी शीघ्र गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त गण का विवरण –

(1) मुनेश्वर दयाल पुत्र सियाराम नि0 रौसर कोठी थाना रामचन्द्र मिशन शाहजहाँपुर
(2) गुलजार सिह पुत्र पूरन सिहं नि0 ग्राम मुडिया पमार थाना सिधौली जिला शाहजहाँपुर
(3) राजू गुप्ता पुत्र मटरू लाल गुप्ता नि0 ग्राम पीरताला थाना सिधौली शाहजहाँपुर
(4) सबील हसन खाँ पुत्र नूर हसन खाँ नि0 कोरो कुईया थाना सिधौली शाहजहाँपुर
(5) रामभजन पुत्र कल्लू ग्राम महासिर थाना सिधौली जनपद शाहजहाँपुर
(6) मिथुन पुत्र गजोधर नि0 ग्राम महासिर थाना सिधौली जनपद शाहजहाँपुर

पंजीकृत अभियोग का विवरण –

मु0अ0सं0-170/2026, धारा 191(2)/191(3)/190/223/126(2)/221/132/352/351(3) बीएनएस, धारा 07 क्रिमिनल लॉ एक्ट एवं धारा 3(2) (va) एससी/एसटी एक्ट थाना सिंधौली, जनपद शाहजहाँपुर।

अपराधिक इतिहास –

अभियुक्त गुलजार पुत्र पूरन सिंह निवासी ग्राम मुडिया पमार थाना सिधौली, जनपद शाहजहाँपुर

1. मु0अ0सं0-449/2018, धारा 406/506 भादवि, थाना सिधौली, जनपद शाहजहाँपुर।
2. मु0अ0सं0-465/2018, धारा 420/467/468/471 भादवि, थाना सिधौली, जनपद शाहजहाँपुर।

अभियुक्त मिथुन पुत्र गजोधर निवासी ग्राम महासिर थाना सिधौली, जनपद शाजहाँपुर।

1. मु0अ0सं0 20/2022 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना सिधौली

मुनेश्वर दयाल पुत्र सियाराम नि0 रौसर कोठी थाना रामचन्द्र मिशन शाहजहाँपुर

1. मु0अ0सं0 270/2013 धारा 147/148/149/307/353/323/225 भादवि व 7 सीएल एक्ट, थाना रामचन्द्र मिशन, जनपद शाहजहाँपुर।
2. मु0अ0सं0 87/2003 धारा 323/504/324 भादवि, थाना रामचन्द्र मिशन, जनपद शाहजहाँपुर।
3. मु0अ0सं0 41/2012 धारा 13 G.ACT, थाना रामचन्द्र मिशन, जनपद शाहजहाँपुर।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम –

1. अपराध निरीक्षक श्री राजेश कुमार थाना सिधौली जनपद शाहजहाँपुर
2. उप निरीक्षक श्री सचिन कुमार , थाना सिधौली जनपद शाहजहाँपुर
3. उप निरीक्षक श्री योगेश शर्मा, थाना सिधौली जनपद शाहजहाँपुर
4. उप निरीक्षक श्री अनेग सिंह, थाना सिधौली जनपद शाहजहाँपुर
5. उप निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह, थाना सिधौली जनपद शाहजहाँपुर
6. उप निरीक्षक श्री हनुमान यादव, थाना सिधौली जनपद शाहजहाँपुर
7. उप निरीक्षक श्री निमेश कुमार, थाना सिधौली जनपद शाहजहाँपुर
8. उप निरीक्षक श्री आजाद यादव, थाना सिधौली जनपद शाहजहाँपुर
9. उप निरीक्षक श्री अजीत सिंह, थाना सिधौली जनपद शाहजहाँपुर
10. उप निरीक्षक श्री सत्येन्द्र सिंह थाना सिधौली जनपद शाहजहाँपुर
11. हे0का0 98 विकास अवस्थी, थाना सिधौली जनपद शाहजहाँपुर
12. हे0का0 62 होशियार सिंह, थाना सिधौली जनपद शाहजहाँपुर
13. हे0का0 381 रवीन्द्र सिंह थाना सिधौली जनपद शाहजहाँपुर
14. का0 1963 लोकेन्द्र कुमार, थाना सिधौली जनपद शाहजहाँपुर
15. का0 2286 संदीप कुमार, थाना सिधौली जनपद शाहजहाँपुर
16. का0 1044 दीपक कुमार, थाना सिधौली जनपद शाहजहाँपुर
17. का0 1981 राजीव कुमार, थाना सिधौली जनपद शाहजहाँपुर
18. का0 400 दर्शन सिंह, थाना सिधौली जनपद शाहजहाँपुर
19. का0 2650 सचिन रावल थाना सिधौली जनपद शाहजहाँपुर

20. म0आ0 2889 प्रियंका सोम, थाना सिधौली जनपद शाहजहाँपुर
21. म0आ0 2911 साधना थाना सिधौली जनपद शाहजहाँपुर
22. म0आ0 2387 शीतल थाना सिधौली जनपद शाहजहाँपुर